[illegible] तथा [illegible] में लोकअदालत आयोजित
तथा [illegible] तक निर्णय कार्य नहीं हो सका
[illegible] की स्थिति यथावत बनाये रखें। लोक-
अदालत को अस्थायी निषेधाज्ञा तक ले जाकर
किया जाता है। प्रार्थना पत्र अतिरिक्त के
तथा लोकअदालत [illegible] को प्रस्तुत की जाकर
पत्रावली दिनांक 12/1/17 को दिनांक है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

12/1/17 वकील गण उपस्थित। लोकअदालत के समक्ष
वाद राजीनामे [illegible] नहीं आये हैं। अतः पत्रावली
बोले अदालत तिथि दिनांक 2/2/17 को दिनांक है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

2/2/17 श्रीमान [illegible] सहकारी [illegible]
कारण आज दिनांक 2/2/17
विचाराधीन राजीनामे मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 11/2/17
की जावेगी।

11/2/17 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई।
वकील वादी लोक अदालत की कार्यवाही
वाद को नहीं चलाना चाहते हैं तथा इसके
को NOTE Press किया अतः वाद वादी
NOTE Press से खारिज किया जाता है।
पत्रावली [illegible] तथा [illegible] के
से दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Not Press
11-2-17